

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
शंकरलाल बनाम स्टेट

वादपत्र अन्तर्गत धारा 15एएए(3)(2क), 88 आरटीएक्ट रिस्टोर प्रकरण संख्या 20 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
08.01.2024	<p>वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार होने पर मूल वादपत्र को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थीगण रामचन्द्र वगैरह द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी शंकरलाल फौत हो चुका है जिसके स्थान पर प्रार्थीगण को बतौर वादीगण पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादी शंकरलाल के स्थान पर मुताबिक प्रार्थना पत्र रामचन्द्र वगैरह को बतौर वादीगण पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादपत्र के शीर्षक में लालस्याही से अंकन किया जावे। पत्रावली आईन्दा तारीख 14.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">८ ७</p> <p>14-01-2025 कुलाए फेकेकन उपारथत/PU माह ३ प्रदवर्ष पत्रावली में पत्रावली गस्त १५/१५ दिनांक 16.1.2025 का पेश हो १५/१५</p>	
16/1/2025	<p>वकील वादीगण व राजपेटो गल उपस्थित। पत्रावली में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वदपत्र पुनी गई। पत्रावली का सबलोकन किया गया। पत्रावली पर उपबन्ध रिगारी व रिपोर्ट वदपत्रीकरण के आधार पर ताद वादीगण रिक्की किया जा रहा है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय दोग से लिखाया जाकर वामिल फाइल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल राहते हो।</p> <p style="text-align: right;">८ १</p>	